



उत्तराखण्ड शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
संख्या: 780/XXXI(13)G/2009  
देहरादून, दिनांक 11 दिसम्बर, 2009

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन श्री राज्यपाल, श्री विनोद नौटियाल को राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. यह नियुक्ति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (6) के अधीन श्री नौटियाल के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3. यह नियुक्ति उपरोक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के अनुरूप श्री नौटियाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष के लिये होगी।

4. राज्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते एवं सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

( राजीव चन्द्र )  
सचिव।

संख्या: 780/XXXI(13)G/2009-सू0अ0-52(5)22007तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधान सभा, विधान सभा भवन, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
- ✓ 4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल।
- ✓ 5. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड। ✓
- ✓ 6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- ✓ 10. आयुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल।
- ✓ 11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
13. श्री विनोद नौटियाल, अपर महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
- ✓ 14. उप सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून।

आज्ञा से,

( राजीव चन्द्र )  
सचिव।